

चोरी की 06 मोटरसाईकिल के साथ एक शातिर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री धनंजय मिश्र के पर्यवेक्षण में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बकवल मोड़ पर नाबालिग द्वारा चलाये जा रहे मोटरसाईकिल को चेक किया गया तथा वाहन संदिग्ध पाये जाने पर उससे गाड़ी के कागजात के सम्बन्ध में पूछ-ताछ किया गया तो बताया कि यह गाड़ी चोरी की है जिसे मैं थाना मरदह गाजीपुर क्षेत्र से चुराया था। मैं इसे लेकर अपने पार्टनर **सोनू कुमार पुत्र कल्पनाथ राम निवासी परदहां थाना कोतवाली नगर मऊ** को देने जा रहा था जिसकी नरई बांध पर मो0सा0 सर्विसिंग की दुकान है जिसे मैं गाड़ी चोरी कर दे देता हूं। जिस पर उक्त के साथ नरई बांध सोनू की दुकान पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर पांच अन्य मोटरसाईकिल खड़ी थी। जिसमें कुछ के नम्बर प्लेट नहीं थे एवं एक गाड़ी के नम्बर प्लेट पर लगे नम्बर से छेड़-छाड़ की गयी थी, के बारे में सोनू कुमार उपरोक्त बताया कि हम दोनो एक साथ शादी विवाह में वेटर का काम करते थे वहीं से हम दोनो की जान पहचान हुयी लेकिन वाहन चोरी, उसको छुपाने व नम्बर प्लेट बदलकर उसको बेचने का काम पिछले दो-तीन माह से कर रहे थे अभी मेरे पास सभी गाड़ियां मौजूद हैं कोई बिक नहीं पायी है। मैं ग्राहक की तलाश में था किन्तु ग्राहक मिलने में समय लगता है इसलिए अभी सभी गाड़ियां मौजूद थी जिस पर सभी 06 गाड़ियों को बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 006/2023 धारा 379,411,413,414,475,482,483 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव, उ0नि0 हरिचरण यादव, हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह, का0 रामराज, का0 जगन्नाथ जैसल. का0 संजीव कुमार सिंह व का0 मौर्या दीपक कुमार।

साईबर सेल द्वारा 101 गुमशुदा मोबाईल लगभग 16 लाख कीमत की बरामद कर सम्बन्धित स्वामियों को सुपुर्द किया गया:—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा गुमशुदा मोबाईल के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु साइबर सेल जनपद—मऊ को प्रार्थना पत्र के निस्तारण एवं गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल जनपद—मऊ द्वारा गुमशुदा मोबाईल फोन के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं मोबाईल की बरामदगी हेतु नियमानुसार लगातार प्रयास किया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 101 आवेदकगण के गुमशुदा 101 मोबाईल फोन जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये है, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बरामद किया गया। बरामदशुदा मोबाईलफोन आज दिनांक—04.01.2023 को संबन्धित आवेदकगणों को उन्हें सुपुर्द किया गया।

बरामद मोबाईलफोन—

1. रेडमी— 30
2. वीवो— 19
3. रियलमी— 16
4. ओप्पो— 14
5. सैमसंग— 10
6. इनफिनिक्स— 02
7. पोको— 03
8. टेक्नो— 01
9. अन्य— 06

बरामद करने वाली टीम का विवरण :-

01. मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया साइबर सेल जनपद—मऊ,
02. आरक्षी अनूप यादव साइबर सेल जनपद—मऊ,
03. आरक्षी प्रभात कुशवाहा साइबर सेल जनपद—मऊ,
04. महिला आरक्षी वन्दना पाण्डेय साइबर सेल जनपद—मऊ।

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भुजई मोड़ के पास से मु0अ0सं0 604/22 धारा 34,323,324,504,506,307 भादवि में वांछित अभियुक्त शिवम उर्फ चुन्नू प्रजापति पुत्र दीनानाथ, शम्भू व दीनानाथ प्रजापति पुत्रगण बलिराम निवासीगण चेरुईडीह थाना मुहम्मदाबाद व थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा अहिरानी हाइवे के पास से मु0अ0सं0 280/22 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि में वांछित अभियुक्त कृष्णा मिश्र पुत्र स्व0 विजय निवासी अहिरानी बुजुर्ग व हरेन्द्र पुत्र जयप्रकाश निवासी चकउथ थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 19 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 04.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मनीष यादव निवासी मेंहदूपार, रामवचन, नंदलाल निवासीगण चन्द्राबारी थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा नेहालुद्दीन, नेयाज अहमद निवासीगण कुर्थीजाफरपुर, सौदागर, सद्दाम, नसिरुद्दीन, नसीम, अनीस निवासीगण लाडनपुर थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रंजीत सिंह निवासी रसड़ा बलिया, अफजाल निवासी पठानटोला थाना कोतवाली, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा रामसरीख, मनोज, दीपक, वरिष्ठ प्रजापति, रूपू, दिलीप व गनेश निवासीगण धर्मसीपुर थाना रानीपुर व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शैलेश चौहान पुत्र सूर्यनाथ निवासी जहनियापुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।